भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2007

क्र. एफ. ए 5-12-2007-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति, श्री एस. के. गंगेले, न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नानुसार पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

क्रमांक	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दि. 30-4-2007 से 4-5-2007	5 दिन	पूर्ण वेतन भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश.	अवकाश पश्चात् में दिनांक 5 एवं 6-5-2007 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनीता त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2007

क्र. एफ. ए 5-16-2007-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति, श्री ए. के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

क्रमांक	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दि. 20-8-2007 से 24-8-2007.	5 दिन	पूर्ण वेतन भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश पूर्व दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2007 एवं अवकाश के पश्चात् 25 एवं 26 अगस्त 2007 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत कुर्रे, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
(राज्य सलाहकार समिति-विद्युत् मण्डल)

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2007

सूचना

क्र. 5921-तेरह-2007.—मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र दिनांक 31 मार्च 2006 में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् मण्डल में विभाजन हेतु अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धांत माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 6025/2006 में पारित निर्णय दिनांक 27 अप्रैल 2007 के अनुपालन में वापिस लिये जाते हैं.

आदेशानुसार,
पी. के. वैश्य, सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2007

क्र. एफ-01-004-2007-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 135 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2495-तेरह-2004, दिनांक 17 मई 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, उद्देशिका में, शब्द "उत्तरवर्ती इकाईयों" के पश्चात् शब्द "या वितरण कंपनी द्वारा नियुक्त फ्रेंचाईजी" जोड़े जाएं.

No. F-01-004-2007-XIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 135 of Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, hereby makes the following amendment in this Department's Notification No. 2495-XIII-2004, dated 17th May 2004, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification in the Preamble, after the words "successor entities" the words "or of franchisees appointed by distribution company" shall be added.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय बंदोपाध्याय, सचिव.